राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ टी एस चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

1. RIC/BLTR/C/2025/008587 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–चांदेसरा, जिला–बालोतरा
2. RIC/BRMR/C/2025/008735 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–भुरटिया, जिला–डूंगरपुर
3. RIC/JAIS/C/2025/008761 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–ओला, जिला–जैसलमेर
4. RIC/BRMR/C/2025/008936 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–तामलोर, जिला–बाड़मेर
5. RIC/BRMR/C/2025/009278 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–रानीगांव, जिला–बाड़मेर
6. RIC/BRMR/C/2025/008747 बनाम बीडीओ, पंचायत समिति–गढ़रा रोड, जिला–बाड़मेर
7. RIC/BRMR/C/2025/009198 बनाम बीडीओ, ग्राम पंचायत–गढ़रा रोड, जिला–बाड़मेर
8. RIC/BRMR/C/2025/009199 बनाम बीडीओ, ग्राम पंचायत–गढ़रा रोड, जिला–बाड़मेर
9. RIC/BRMR/C/2025/008750 बनाम आयुक्त, नगर परिषद बाड़मेर, जिला–बाड़मेर
10. RIC/BLTR/A/2025/008937 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–करना खास, जिला–बालोतरा
11. RIC/BRMR/A/2025/009625 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–जाजवा, जिला–बाड़मेर
12. RIC/BRMR/A/2025/009626 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–लूणूखुर्द, जिला–बाड़मेर
13. RIC/BRMR/A/2025/009627 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–गेहू, जिला–बाड़मेर
14. RIC/BRMR/A/2025/009629 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–भुरटिया, जिला–बाड़मेर
15. RIC/BRMR/A/2025/009633 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–खबडाला, जिला–बाड़मेर
16. RIC/BRMR/A/2025/009636 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–कगाऊ, जिला–बाड़मेर
17. RIC/BRMR/A/2025/009667 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–तामलोर, जिला–बाड़मेर
18. RIC/BRMR/A/2025/009685 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–बीजावल, जिला–बाड़मेर
19. RIC/BRMR/A/2025/009692 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–डाबलीसर, जिला–बाड़मेर
20. RIC/BRMR/A/2025/009694 बनाम वीडीओ, ग्राम पंचायत–मातासर, जिला–बाड़मेर
21. RIC/BRMR/A/2025/009623 बनाम बीडीओ, पंचायत समिति–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर
22. RIC/BRMR/A/2025/009624 बनाम बीडीओ, पंचायत समिति–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर
23. RIC/BLTR/A/2025/009909 बनाम बीडीओ, पंचायत समिति–बालोतरा, जिला–बालोतरा

अपीलार्थी–परिवादी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सज्जन सिंह, पुत्र श्री हुकम सिंह, मकान नं0–एन–64, आशीयाना अमरबाग पाली रोड कुडी, जोधपुर, जिला–जोधपुर (राज0)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य जिला–बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी एवं बालोतरा (राज0) **परिशिष्ट 01 के अनुसार**

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 16.10.2025

1. अपीलार्थी–परिवादी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से :–

   श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, चांदेसरा।

   श्री तरुण कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, बीजावल।

   श्री हीराराम कलवी, विकास अधिकारी, बालोतरा।

   श्री उमेदाराम, सहायक विकास अधिकारी, बाड़मेर।
3. प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलार्थी–परिवादी द्वारा दायर उपरोक्त वर्णित 09 परिवाद एवं 14 द्वितीय अपीलों की विशिष्टि और एक समान पृष्ठभूमि, तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इनका विचारण एवं निर्णय एक साथ किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त प्रकरणों का विवरण निर्णय के परिशिष्ट 01 में दिया गया है, जो निर्णय का अभिन्न अंग है।
5. अपीलार्थी–परिवादी की संदर्भ में विशिष्ट–पृष्ठभूमि यह है कि अपीलार्थी–परिवादी द्वारा वर्ष 2018 से 2025 तक आयोग में 1127 (आयोग की वेबसाईट के अनुसार) द्वितीय अपील एवं परिवाद दायर किए जा चुके हैं। निर्णयाधीन प्रकरण इसी श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। परिवादों एवं द्वितीय अपीलों की असामान्य संख्या को देखते हुए अपीलार्थी–परिवादी के प्रकरणों को अधिनियम की समग्रता एवं व्यापकता के दायरे में पृथक दृष्टिकोण से परखने की आवश्यकता है।
6. आयोग के संज्ञान में यह है कि अपीलार्थी–परिवादी द्वारा अब तक दायर 1127 में से अधिकांश द्वितीय अपील/शिकायत पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर के लोक सूचना अधिकारियों के विरुद्ध संस्थित की गई है। स्थानीय निकाय विभाग एवं राजस्व विभाग के विरुद्ध भी बड़ी संख्या में प्रकरण दायर किए गए हैं। अपीलार्थी–परिवादी द्वारा प्रस्तुत सूचना आवेदनों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने का अनुमान है।
7. शीर्ष न्यायालयों के अनेकानेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि ''सूचना का अधिकार'' भारत के संविधान के के अनुच्छेद 19 के प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समतुल्य

है, लेकिन साथ ही अनेकानेक न्यायिक दृष्टांत इस आशय के भी उपलब्ध है कि सूचना का यह अधिकार असीमित एवं अनियंत्रित नहीं है। अधिनियम 2005 की प्रस्तावना में यह अंगीकार किया गया है कि व्यवहार में सूचनाओं के आदान–प्रदान की प्रक्रिया में विरोध (Conflict) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्राधिकृत अधिकरणों (सूचना आयोग सहित) को विरोध की स्थिति में सामंजस्य (Balance) स्थापित करने का दायित्व सुपुर्द किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा चाही गई सूचनाओं के गुणावगुण को पृष्ठभूमि में रखते हुए सूचना के मंतव्य, लोकमहत्व, विधिक के दुरुपयोग, अविवेकीय सूचनाओं की मांग, लोक प्राधिकरण के सीमित संसाधनों का विचलन, सूचनाओं की उत्पादकता (Productivity), लोक सूचना अधिकारी का उत्पीड़न (Harresment) आदि तथ्यों को केन्द्र में रखकर शीर्ष न्यायालयों एवं केन्द्रीय सूचना आयोग के अनेकानेक निर्णयों में, जिनका उल्लेख आगामी पैराज में किया गया है, सूचनाओं के आदान–प्रदान में सामंजस्य एवं संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

8. अपीलार्थी–परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए 1127 प्रकरणों में चिन्हित विभागों को लक्षित (Targeted) किया गया है। लोक सूचना अधिकारियों के विरुद्ध दायर किए गए प्रकरणों की संख्या से यह परिलक्षित है कि अपीलार्थी–परिवादी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विहित नियमों, प्रक्रिया एवं पद्धति (Process of law) का बहुतायत (Repeatative) में प्रयोग किया गया है। अपीलार्थी–अपीलार्थी–परिवादी द्वारा निरंतर बहुतायत में सूचना आवेदन, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील एवं शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। निर्णयाधीन परिवाद संख्या 008587/2025 में प्राप्त प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर के अनुसार अपीलार्थी–परिवादी द्वारा 60 से अधिक आवेदन ग्राम पंचायत चांदेसरा के लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किए गए हैं। इस लिहाज से यह एक अपवाद प्रकरण है।

9. अपीलार्थी–अपीलार्थी–परिवादी का सूचना आवेदन प्रस्तुत करने का यह सिलसिला विगत लंबे समय से अनवरत जारी है।

अपीलार्थी–परिवादी द्वारा सूचना आवेदन, प्रथम अपील, द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में एक आवेदन के संबंध में कम से कम चार बार अधिनियम में विहित प्रक्रिया (Mechanism) का पुनरावर्ती प्रयोग (Repetative use) किया गया है अर्थात् 1127 प्रकरणों में लगभग इसके चार गुना अवसरों पर अधिनियम की शरण प्राप्त की गई है और इतने ही अवसरों पर लोक सूचना अधिकारी को उत्प्रेरित (agitate) करने का प्रयास किया गया है।

10. यहां यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना योग्य है कि राज्य के लोक प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी का पद पृथक व स्वतंत्र रूप से सृजित नहीं है। लोक प्राधिकरणों में कार्यरत लोक सेवकों को ही पदेन लोक सूचना अधिकारी पदाभहित किया गया है, जिनके द्वारा लोकहित के विभागीय कार्यों का निर्वहन भी किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी–परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की संख्या एवं लोक प्राधिकरणों के सीमित संसाधनों के मध्य असंतुलन स्पष्ट दृष्टिगोचर है। माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रकरण (20182/2008) दिवाकर एस. नटराजन बनाम राज्य सूचना आयोग में इस स्थिति का वास्तविक चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है– **However, a typical tendency is growing, viz to be conscious, more and more about rights, and not the corresponding obligation. If every citizen feels that he is endowed with the right to question, but is not under obligation to answer, a stage may reach where the comparatively small number of persons, who are being questioned, may join the team of those who choose, just to question. If that happens, the society may face a situation, where it would become difficult to expect answers.** The RTI Act is an effective device which, if utilized judiciously and properly, would help the citizens to become more informed. It no doubt relieves an applicant from the obligation to disclose the reason as to why he wants the information. However, indiscriminate efforts to secure information just for the sake of it, and without there being any useful purpose to serve, would

only put enormous pressure on the limited human resources, that are available. Diversion of such resources, for this task would obviously, be, at the cost of ordinary functioning. Beyond a point, it may even become harassment, for the concerned agencies. Much needs to be done in this direction to impart a sense of responsibility on those, who want to derive benefit under the Act; to be more practical and realistic.

11. इस क्रम में The institute of Chartered Accountants of India vs. shaunak H. satya (AIR 2011 sc-3336) का यह उद्धरण भी प्रासांगिक है— The right to information is a fundamental right as enshrined in Article 19 of the Constitution of India. The Hon'ble Supreme Court has declared in a plethora of cases that the most important value for the functioning of a healthy and well-informed democracy is transparency. How ever it is necessary to make a distinction in regard to information intended to bring transparency, to improve accountability and to reduce corruption, falling under Section 4(1)(b) and (c) and other information which may not have a bearing on accountability or reducing corruption. **The competent authorities under the RTI Act will have to maintain a proper balance** so that while achieving transparency, the demand for information does not reach unmanageable proportions affecting other public interests, which include efficient operation of public authorities and government, preservation of confidentiality of sensitive information and optimum use.

12. अत्यधिक संख्या में सूचना आवेदन प्रस्तुत करना एक असामान्य और अपवाद स्थिति है, जो अधिनियम 2005 में विवेचित सूचना एवं सूचना का अधिकार की मौलिक अवधारणा के आनुषंगिक नहीं है। अधिनियम 2005 की योजना एवं उद्देश्य के अनुसार सूचना की उपादेयता लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, उत्थान एवं विकास के उद्देश्य से जागरुक एवं शिक्षित नागरिक वर्ग तैयार करने में है। साथ–साथ लोक प्राधिकरणों में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से सूचना के प्रकटन को अधिदेश (Mandate) के रूप में अपनाए जाने पर बल दिया गया है। इसके समानांतर कतिपय

सूचनाओं के प्रकटन को संरक्षित करने, लोक प्राधिकरण के सीमित संसाधनों के अनावश्यक विचलन एवं लोक प्राधिकरण को सुपुर्द लोक महत्व के अन्य नियमित व विभागीय कार्यों जिनके निष्पादन के लिए लोक प्राधिकरण की स्थापना की गई है, में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका को भी दृष्टिगत रखा गया है। अविवेकसम्मत सूचनाओं की मांग, मंतव्य, विधि की प्रक्रिया का अतिशय दोहन (Excessive use), लोक सूचना अधिकारी का अनावश्यक उत्प्रेरण इत्यादि भी महत्वपूर्ण कारकों को भी न्यायिक निर्णयों में स्थान दिया गया है। वास्तविक व्यवहार में सूचनाओं की आपूर्ति की प्रक्रिया में सरकार के परिकरणों के उपलब्ध सीमित संसाधनों के मध्य आदर्श संतुलन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

13. इसके समानांतर अपीलार्थी–परिवादी के सूचना आवेदनों में चाही गई सूचना की प्रकृति एवं आवृत्ति पर भी दृष्टिपात किया जाना समीचीन होगा। परिशिष्ट–1 में वर्णित समस्त 14 द्वितीय अपीलों के सूचना आवेदनों में साम्यता यह है कि समस्त आवेदनों में ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों की प्रायः एक ही अवधि की कैशबुक की प्रतियां चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी का नाम बदलकर एक ही कम्प्यूटर प्रिंट को सूचना आवेदन का रूप दिया गया है। प्रायः समस्त सूचना आवेदनों में सूचना की अवधि भी समान है। कैशबुक लोक प्राधिकरण के लोक क्रियाकलाप में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार के लिहाज से मौलिक अभिलेख नहीं है। यह स्पष्ट है कि कैशबुक में किसी क्रियाकलाप में व्यय राशि का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग स्वयं विभाग के लिए है। कैशबुक की प्रति जनसाधारण को शिक्षित एवं जागरूक करने से संबंधित दस्तावेज नहीं है। इसके विपरीत कैशबुक में प्रविष्टि से संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित अन्य दस्तावेज यथा– टेंडर प्रक्रिया, विभिन्न मदों की दरें निर्धारित करना, कार्य की पूर्णता, कार्य की गुणवत्ता इत्यादि दस्तावेज पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में एक ही अवधि की कैशबुक की प्रतियां अनेक लोक सूचना से मांगने के पीछे की कोई तर्क

नजर नहीं आता। यह सिर्फ सूचना के लिए सूचना मांगने का प्रयास है। कैशबुक की प्रति आवेदक स्वयं के लिए अन्वेषण की दृष्टि से तर्कसंगत हो सकी है, जो कि सूचना प्राप्ति का स्वस्थ मंतव्य नहीं है। इसी प्रकार संलग्न परिशिष्ट में वर्णित 09 परिवादों से संबंधित अधिकांश द्वितीय अपीलों का निर्णय एकपक्षीय किया गया है। परिवादों में मुख्यतः स्वयं अपीलार्थी–परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत परिवाद पर की गई कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर एवं कैशबुक की प्रति इत्यादि की सूचना चाही गई है। अपीलार्थी–परिवादी द्वारा वर्ष 2018 से 2025 तक निरंतर सूचना आवेदन प्रस्तुत करने की प्रवृति के मध्यनजर अपीलार्थी–परिवादी द्वारा चाही गई सूचना अविवेकसम्मत् है।

14. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी–परिवादी द्वारा प्रस्तुत सूचना आवेदन विवेकसम्मत नहीं है। अपीलार्थी–अपीलार्थी–परिवादी का मंतव्य अधिनियम में आशयित सूचना प्राप्त करने का नहीं है, न ही सूचना आवेदन स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किए गए हैं। अधिनियम की मंशा के अनुरूप यदि 'सूचना' लोक प्राधिकारी के कृत्य में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है तथा इसमें लोकहित निहीत है तो सूचना अनुरोध को सूचना चाहने वाले नागरिक के 'मंतव्य एवं प्रयोजन' (Motive & purpose) की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। लेकिन स्थिति इसके विपरीत एवं नकारात्मक होने की अवस्था में सूचना चाहने के मंतव्य एवं प्रयोजन को सूचना की प्रदायगी के संदर्भ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाष चन्द्र बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त की अपील संख्या 10044/2010 के पैरा संख्या 79 में यह निर्धारित किया गया है– Clearly, 'motive' and 'purpose" for making the request for information is irrelevant, and being extraneous cannot be a ground for refusing the information. However, this is not to state that 'motive' and 'purpose' may not be relevant factor while applying the public interest test in case of qualified exemptions governed by the public interest test. It is in this context that this Court in Aditya

Bandopadhyay (supra) has held that beneficiary cannot be denied personal information relating to him. Similarly, in other cases, public interest may weigh in favor of the disclosure when the information sought may be of special interest or special significance to the applicant. It could equally be a negative factor when the 'motive' and 'purpose' is vexatious or it is a case of clear abuse of law.

15. उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी–परिवादी द्वारा अत्यधिक सूचनाओं की मांग लंबे समय से निरंतर की जा रही है। यह स्पष्ट है कि प्रत्यथी–लोक प्राधिकरणों में मानव संसाधन सीमित होने के साथ–साथ अन्य संसाधनों का भी अभाव है। इस प्रकार की वृहद एवं सृजित किए जाने योग्य सूचना की प्रदायगी में प्रत्यर्थी लोक प्राधिकरण के संसाधनों का विचलन एवं इसके अन्य लोकहित के कार्यों का विपरीत रूप से प्रभावित होना संभाव्य है। इस स्थिति में इन्ही तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित माननीय उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रकरण सीबीएसई बनाम आदित्य बंधोपाध्याय में प्रतिपादित अवधारणा हस्तगत प्रकरण पर पर्याप्त रूप से लागू होती है, जो इस प्रकार है– "Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption would be counter- productive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be used or abused to become a tool to obstruct the national development & integration or to destroy the peace tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty." उपरोक्त विवेचन से हस्तगत प्रकरण भी इसी प्रकार की अविवेकीय सूचनाओं की मांग की श्रेणी का होना पाया जाता है अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचनाएं संसाधनों के गैर–अनुपातिक होने एवं

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष को सूचना की प्रदायगी के निर्देश दिये जाना विधिसम्मत् नहीं है। समान आधार पर परिवादों पर अग्रिम जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस निष्कर्ष के साथ प्रकरण के समग्र विवेचन के उपरांत सुविधा के संतुलन को देखते हुए समस्त प्रकरणों को निस्तारित शुमार किया जाता है।

16. सूचना का उत्पादक मूल्य एवं लोक महत्व एक महत्वपूर्ण पहलू है। आयोग में 1127 द्वितीय अपीलें दायर करने के बावजूद अपीलार्थी–परिवादी अपीलों की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहा है। इसके कारण आयोग इस फीडबैक से परिचित नहीं है कि अपीलार्थी–परिवादी के सूचना प्राप्ति के प्रयास अधिनियम की मंशा के अनुरूप उत्पादकता एवं लोकमहत्व की कसौटी पर सार्थक है अथवा नहीं। अपीलार्थी–परिवादी द्वारा सद्भावना से लोकहित में सूचना प्राप्त करने के स्थान पर अधिनियम को यंत्रवत् औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अपीलार्थी–परिवादी का यह उद्यम स्वयं की विशिष्ठ छवि के निर्माण एवं ख्याति अर्जित करने के लिए किया जा रहा है, जो समर्थन योग्य नहीं है। यह लोक प्राधिकरणों के कार्य सम्पादन में बाधा उत्पन्न करने एवं विधि के दुरुपयोग का उदाहरण है।

17. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Rajni mandiratta V. directorate of education [WP(c) 7911/2015] तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा PIO V. CIC [WP 26781/2013] में क्रमशः यह आध्यासित किया गया है – " Frivolous, vexatious or repeated queries cannot to be permitted to overburden the system." and "The right to information cannot be converted into a tool of oppression or harassment."

18. अधिनियम की प्रस्तावना में सूचना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि कतिपय (certain) सूचना देने के लिए अधिनियम में उपाबंध किए जाए। इसकी निरंतरता में अधिनियम की धारा 7(9) लोक सूचना अधिकारी को सूचना के

प्रारूप में परिवर्तन के लिए अनुमत करता है, यदि चाही गई सूचना " Disproportionately diverts the resources of the public authority. इस संदर्भ में आयोग शीर्ष न्यायालयों द्वारा अनगिनत अवसरों पर प्रतिपादित इस धारणा से पूर्णत सहमति रखता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक जीवंत एवं प्रगतिरत (Progressive) विधेयक है, जिसका लक्ष्य लोक प्राधिकारियों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के तत्वों को पोषित करने का है, लेकिन यह अनियंत्रित एवं असीमित नहीं है। इस अधिकार का उपयोग उत्तरदायी एवं तर्कसंगत रीति से किया जाना चाहिए।

19. हस्तगत निर्णयाधीन प्रकरणों में अपीलार्थी–परिवादी के सूचना आवेदनों का निस्तारण करते हुए परिशिष्ट 01 में वर्णित सारिणी के कॉलम संख्या 05 के अनुसार अपीलार्थी–परिवादी को समुचित सूचना/विनिश्चय प्रेषित किया जा चुका है। अपीलार्थी–परिवादी के विशेष एवं अपवाद प्रकरण के संदर्भ में इस स्तर पर सूचना प्रदायगी के निर्देश दिया जाना व्यवहारिक नहीं है। इसी आधार पर परिवादों की आगे जांच की आवश्यकता नहीं है।

20. अपीलार्थी–अपीलार्थी–परिवादी को सलाह दी जाती है कि वह सूचना का अधिकार का उत्तरदायीपूर्ण उपयोग करे और व्यापक लोकहित रहित वृहद एवं पुनरावर्तित सूचनाओं के लिए लोक प्राधिकरणों के सीमित संसाधनों पर अनावश्यक भार डालने से बचा जाए।

21. समान प्रकार से पुनरावर्तित सूचना अनुरोधों के निस्तारण के निमित्त लोक सूचना अधिकारियों को यह मार्गदर्शन है कि यदि नवीन सूचना आवेदन में चाही गई सूचना आवेदक को पूर्व में उपलब्ध करवाई गई है अथवा सूचना अधिनियम की धारा 04 के अनुरूप पूर्व से ही पब्लिक डोमेन में प्रसारित (Disseminiated) है तो तदनुसार आवेदक को संसूचित किया जाये अथवा आवेदक को धारा 2(जे)(i) के तहत अभिलेख के अवलोकन का अवसर प्रदान किया जाए।

22. अतः हस्तगत समस्त प्रकरण में दी गई सूचनाओ के अतिरिक्त शेष प्रकरणों की विशिष्ट परिस्थितियाँ को देखते हुए सूचना उपलब्ध कराने के कोई निर्देश नही है। उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

23. निर्णय की प्रति समस्त पक्षकारों को प्रेषित करने के साथ–साथ मूल प्रति अपील संख्या 008587/2025 में एवं छाया प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावें।

24. निर्णय घोषित।

(मोहन लाल लाठर)
मुख्य सूचना आयुक्त

परिशिष्ट–1

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>अपील / परिवाद संख्या</th><th>लोक सूचना अधिकारी</th><th>सूचना का विवरण</th><th>अपीलोत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>008587 / 2025(c)</td><td rowspan="5">ग्राम विकास अधिकारी</td><td rowspan="2">बिल बाऊचर</td><td>सूचना प्रेषित</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>008735 / 2025(c)</td><td rowspan="2">अप्राप्त</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>008761 / 2025(c)</td><td rowspan="2">कार्यवाही रजिस्टर</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>008936 / 2025(c)</td><td>सूचना प्रेषित</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>009278 / 2025(c)</td><td>कृत कार्यवाही</td><td>अप्राप्त</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>008747 / 2025(c)</td><td rowspan="3">विकास अधिकारी</td><td></td><td rowspan="3">विनिश्चय प्रेषित</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>009198 / 2025(c)</td><td rowspan="2">कृत कार्यवाही</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>009199 / 2025(c)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>008750 / 2025(c)</td><td>नगर परिषद, बाड़मेर</td><td>कैशबुक</td><td rowspan="7">अप्राप्त</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>008937 / 2025(A)</td><td rowspan="11">ग्राम विकास अधिकारी</td><td rowspan="14">कैशबुक</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>009625 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>009626 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>009627 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>009629 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>009633 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>009636 / 2025(A)</td><td>सूचना प्रेषित</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>009667 / 2025(A)</td><td rowspan="4">अप्राप्त</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>009685 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>009692 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>009694 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>009623 / 2025(A)</td><td rowspan="3">विकास अधिकारी</td><td rowspan="2">सूचना प्रेषित</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>009624 / 2025(A)</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>009909 / 2025(A)</td><td>विनिश्चय प्रेषित</td></tr>
</table>

आयदानि जनेभ्यः
राजस्थान राज्य सूचना आयोग